मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड,
मध्यप्रदेश शासन,
पशुपालन विभाग

कम लागत की गौशाला निमार्ण हेतु "तकनीकी मानचित्र एवं प्राक्कलन" प्राप्त करने के लिए **"अभिरुचि की अभिव्यक्ति"**

मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड
,माता मंदिर,भोपाल म.प्र.–462003
दूरभाष – 0755–2776310,2772262
ई–मेल – mpgopalanboard@gmail.com
www.mpdah.gov.in

अभिरुचि की अभिव्यक्ति

मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड ,
मध्यप्रदेश,भोपाल

अभिरुचि अभिव्यक्त करने की प्रथम दिनांक	26.02.2019
अभिरुचि अभिव्यक्त करने की अंतिम दिनांक	13.03.2019
पता	मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड,माता मंदिर,भोपाल म.प्र.–462003 दूरभाष – 0755–2776310,2772262 ई–मेल – mpgopalanboard@gmail.com www.mpdah.gov.in
अभिरुचि जमा करने की विधि	व्यक्तिगत या डाक/कोरियर द्वारा
अभिरुचियों का परीक्षण व चयन सूची	14.03.2019
चयनित अभिव्यक्तियों को प्रेजेन्टेशन के लिए आमंत्रण	22.03.2019
अंतिम चयन	25.03.2019

- नियत तिथी उपरांत किसी भी प्रस्ताव पर विचार नही किया जाएगा।
- किसी भी प्रकार के निमार्ण अथवा अन्य प्रकार के अनुबंध या कार्यादेश का कोई प्रावधान नही है।
- प्राप्त अभिरुचियों में से किसी भी मानचित्र या प्राक्कलन के सफल न होने पर प्राप्त समस्त अभिरुचियों को भी खारिज किया जा सकता है।
- चयनित मानचित्र या प्राकल्लन का उपयोग किसी शासकीय योजना में किया जाना आवश्यक नही है।
- इस प्रक्रिया से अथवा तिथियों से संबंधित किसी भी बदलाव को , पशुपालन विभाग,मध्यप्रदेश की अधिकारिक वेबसाईट www.mpdah.gov.in पर अपलोड किया जाएगा। इस हेतु प्रेस नोटिफिकेशन अथवा किसी भी प्रकार की अन्य घोषणा आवश्यक नही होगी। प्रक्रिया को निरस्त करने के अधिकार मध्यप्रदेश शासन,पशुपालन विभाग के पास होंगा।
- किसी भी अभिरुचि को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित होंगे।

''गौशाला परियोजना''

संक्षिप्त परिचय –

मध्यप्रदेश में लगभग 1.96 करोड गौवंश है, जिसमें से अनुमानतः 80 प्रतिशत गौवंश कम दूध देने वाला है। कृषि में रसायनिक खाद व यांत्रिकी करण से किसानों में ऐसे गौवंश का उपयोग कम हुआ,जिसके परिणाम स्वरुप इन्हे किसानों द्वारा छोडा जाने लगा। अनुमान के तौर पर प्रदेश में निराश्रित गौवंश की संख्या लगभग 7.00 लाख है। यह निराश्रित गौवंश , राजमार्गो पर दुर्घटनाओं का कारण बन रहे है, साथ ही बडी मात्रा में किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुॅचा रहे है।

दूध के साथ गौवंश के गोबर व गौमूत्र से अनेक प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है। गौवंश से प्राप्त गोबर व गौमूत्र ही जैविक कृषि का मूल आधार है एवं इससे गोबर की लकडी,हवन कण्डे, गमले,औषधियॉ इत्यादि अनेक ऐसे उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है,जो अत्यंत लाभकारी है, किन्तु निराश्रित गौवंश के घुमन्तु होने से है ,इस गोबर व गौमूत्र का उपयोग नही हो पाता है। उपरोक्त के समाधान के तौर पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा '' गौशाला परियोजना'' प्रारंभ की गई है। इस योजना के उद्देश्य निम्नानुसार है –

1. निराश्रित गौवंश को उचित प्रबंधन के साथ आश्रय प्रदान करना।
2. विभिन्न प्रकार के जैविक खाद जैसे वर्मी कम्पोस्ट, प्रोम, कम्पोस्ट इत्यादि का निर्माण।
3. गौबर गौमूत्र से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण व इनके विपणन की व्यवस्था कर इसे उद्योग के रुप में स्थापित करना।
4. निराश्रित गौवंश में से उत्पादक गौवंश का अच्छी नस्ल के नरों से संवर्धन करना।

उपरोक्त समस्त लक्ष्यों की प्राप्ती हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 में 100 गौवंश की क्षमता वाली 1000 गौशलाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। यह गौशालाएं ग्रामीण विकास विभाग के म.न.रे.गा, पंचपरमेश्वर व अन्य विभागों की विभागीय योजनाओं के अभिसरण से ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्मित की जाएंगी। गौशालाओं का निर्माण एवं संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा।

कार्य (अभिरुचि) का दायरा –

गौशालाएं 1 एकड की भूमि पर स्थापित की जाएंगी,जिसमें गौवंश हेतु शेड,एक भूसा गोदाम,चौकीदार कक्ष,पानी की हौद एवं गौवंश की घूमने के लिए पर्याप्त स्थान आवश्यक होगा।

1. 100 गौवंश की गौशाला के लिए लगभग 2700 वर्ग फीट के पशु शेड ।
2. प्रति गौवंश न्यूनतम 27 वर्ग फीट का शेड आवश्यक होगा। जिसमें चारे–भूसे की नांद (मेंजर) भी सम्मिलित है।
3. गौवंश का शेड पक्का हो किन्तु उसमें फिसलन न हो एवं शेड में पानी के निकासी का प्रावधान हो।
4. नाली का डिज़ाईन इस प्रकार हो,जिससे गौमूत्र एकत्रित किया जा सके।
5. चारा–भूसे हेतु पक्की नांद (मेंजर) का प्रावधान हो,जिसकी चौडाई 20 इंच से कम न हो।
6. गौशाला में खुले स्थान पर 100 गौवंश हेतु 7X15X2 क्यू. फीट के आकार की पीने के पानी की कम से कम दो हौद हो।
7. कम से कम 1500 वर्ग फीट क्षेत्रफल में 12–14 फीट ऊॅचा चारा–भूसा गोदाम हो।
8. गौवंश को खुले में घूमने के लिए (शेड के अतिरिक्त) कम से कम 50 वर्ग फीट प्रति गौवंश जगह हो।
9. ड़िजाईन ऐसा हो जिसमें गौवंश का बाहर के जानवरों आदि से बचाव हो सके।
10. अत्यधिक गर्मी,बारिश या सर्दी से गौवंश को बचाया जा सके।
11. कम्पोस्ट,नाडेप,वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पादों के निमार्ण हेतु पर्याप्त भूमी चिन्हित हो।
12. ऐसे प्रबंध हो जिससे नवजात बछडे सुरक्षित रह सके।
13. चौकीदार कक्ष की व्यवस्था हो।
14. गौवंश शेड व घूमने की जगह एक बाडे के रुप में हो एवं जहॉ सूरक्षा हेतु बाउंड्री वाल व गेट का प्रबंध हो।
15. 01 एकड की भूमि फेंसिंग या अन्य प्रणाली से सुरक्षित की जाए।
16. बायोगैस एवं अन्य गतिविधयों हेतु भूमि सुरक्षित हो।